

क्रमांक 131/ई.आईएम.एस./2020
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ई मेल- web.manager.wrd@mp.gov.in
फोन- 0755-2973155/2573438 फेक्स- 0755-2552406

दिनांक .03.2020

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अधीक्षण यंत्री
समस्त कार्यपालन यंत्री
म. प्र. जल संसाधन विभाग
(वेबसाइट के माध्यम से)

विषय- दिनांक 29.02.2020 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं ग्रीष्मकालीन सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2019-20 दर्ज किये जाने बाबत।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3299008/2020 दिनांक 04.03.2020

EIMS के Irrigation Monitoring Module में ग्रीष्मकालीन सिंचाई वर्ष 2019-20 हेतु लक्ष्य दर्ज किया जाना है, इस बाबत Module को दिनांक 11.03.2020 से 15.03.2020 तक open किया जा रहा है।

समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रीष्मकालीन सिंचाई हेतु दिनांक 29.02.2020 की स्थिति में जल भराव एवं लक्ष्य निर्धारण की जानकारी, Module में दर्ज करना सुनिश्चित करें। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि 15.03.2020 तक जल भराव एवं लक्ष्य निर्धारण की जानकारी कार्यपालन यंत्री द्वारा दर्ज कर ली गई है।

मॉड्यूल के संबंध में कठिनाई / तकनीकी समस्या होने पर फोन नं. 0755-2973155 पर अथवा ई-मेल web.manager.wrd@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

सहपत्र :- 1. ग्रीष्मकालीन सिंचाई लक्ष्य दर्ज किये जाने की प्रक्रिया
2. नवीन/आंशिक पूर्ण योजना का नाम जुड़वाने के लिये प्रपत्र-1


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक 132/ई.आईएम.एस./भोपाल/2020/

दिनांक .03.2020

1- श्री कमलेश रायकवार, वेबमेनेजर एवं ई.आईएम.एस. प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

उपसंभागवार योजनाओं के ग्रीष्मकालीन सिंचाई लक्ष्य दर्ज किये जाने की प्रक्रिया

1. EIMS Portal में कार्यपालन यंत्र की आई.डी. से Login करें।
2. Irrigation Monitoring Module पर Click करें।
3. Set/Update Target पर Click करें।
4. Sub Division, Select करें। अब Generate Button पर Click करने पर संबंधित Sub Division की योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी। इनका सत्यापन कर लें।

संभव है कि--

1. कोई ऐसी योजना प्रदर्शित हो रही हो जो उस उपसंभाग में स्थित नहीं है, इस प्रकार कि योजना को उस उपसंभाग से हटाने हेतु web.manager.wrd@mp.gov.in पर मेल करें।
2. किसी योजना के उपसंभाग में परिवर्तन किया जाना हो।
- 3- कोई ऐसी योजना हो जिसका नाम सूची में नहीं हो (नवीन/ आंशिक पूर्ण योजना) तो उसका नाम सूची में जुड़वाने के लिये, योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र-1 में भर कर web.manager.wrd@mp.gov.in पर मेल करें।
5. योजना के नाम के सामने Other Designed Irrigation, RL (In M), 29.02.2020 को Available Live Capacity (In MCum), Other Target 2019-20 (In Hactare) एवं रिमार्क कॉलम होंगे।
6. प्रत्येक योजना में दि. 29.02.2020 को Available Live Capacity (In MCum) अनिवार्य रूप से भरें। ध्यान रखें कि Live Capacity, MCum में हो, और यदि शून्य है तो शून्य ही भरी जाये।
7. Other Target 2019-20 में, योजना से की जाने वाली ग्रीष्मकालीन सिंचाई का लक्ष्य (Hactare में) भरें।
8. उपसंभाग की जिस योजना से ग्रीष्मकालीन सिंचाई नहीं हो रही हो उसमें लक्ष्य शून्य भरें, किन्तु लक्ष्य शून्य होने का कारण रिमार्क कालम में अवश्य दें।

उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 15.03.2020 तक पूर्ण कर लें।

Note:- कार्यपालन यंत्र द्वारा योजनाओं का लक्ष्य दर्ज करने के पश्चात ही अनुविभागीय अधिकारी ग्रीष्मकालीन सिंचाई की प्रगति Module में दर्ज कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।

